

पत्र सं: 592 / 22सी
सेवा में,

दिनांक: 02/05/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता/कालसी वन प्रभाग,
कालसी।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे0 वन भूमि पर का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 से निर्गत निर्देश तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित 26 बिन्दुओं पर चाही गई बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1.	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि प्राप्त की जायेगी।	मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.170 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डिरनाड, तहसील-त्यूनी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाएगा। (ख) के अनुसार गैर वानिकी वनभूमि को राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाएगा। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन की कार्यवाही की जानी है। उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 के पत्र सं0 1879/X-3-21/14(02)/2021 दिनांक: 27 दिसम्बर, 2021 में जारी अधिसूचना के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 6.17 हे0 को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना है।
4.	क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	मान्य है।

5.	1. शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 -एफ.सी.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.0835 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा जिसका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। मान्य है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 140 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7.	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना है।
8.	परियोजना के तहत धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	मान्य है।
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ.सी./आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	मान्य है।

13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य है।
----	--	-----------

क्रमशः

-3-

14	केन्द्र सरकार की वनभूमि के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	मान्य है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं	मान्य है।

	तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	
26	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।

क्रमशः

-4-

संलग्न:-

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिन्दुवार प्रमाण पत्र।
3. जिलाधिकारी महादेय द्वारा निर्गत म्यूटेशन आदेश एवं खतौनी।

(इं० आर०के० टम्टा)

अधिशायी अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई., नि.ख., लो.नि.वि., कालसी

दिनांक: 02/05/2022

पत्र सं: 592/22सी

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता यू०आर०आर०डी०ए०, प्रथम तल पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने सहस्त्रधारा रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता ग०क्षे०, पी०एम०जी०एस०वाई० 6-इन्दिरानगर देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

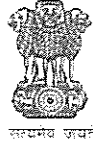
(इं० आर०के० टम्टा)

अधिशायी अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई., नि.ख., लो.नि.वि., कालसी

YIC
4/5/2022
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी./यू.सी.पी./06/209/2019/एफ० सी०/866

दिनांक: 06/08/2020

सेवा में,

✓ अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।(FP/UK/ROAD/34380/2018)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1327/FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 02-12-2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/34380/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 28.07.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.170 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम डिरनाड, तहसील-त्यूनी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

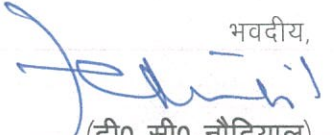
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.0835 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 140 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

 (टी0 सी0 नौटियाल)
 उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
 उप महानिरीक्षक, वन (के0)

11
11/11/2021

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 1879/X-3-21/14(02)/2021

देहरादून: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के लिए हस्तान्तरित 3.0835 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी देहरादून द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-5(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 6.17 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकवा (है0 में)	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	देहरादून	डिरनाड	00092	462	10.15	6.17	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5(3)(ड0)
कुल योग :-						6.17	

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	77° 56' 4.516" E	30° 53' 57.451" N	16	77° 56' 10.946" E	30° 54' 4.104" N
2	77° 56' 4.677" E	30° 53' 56.938" N	17	77° 56' 10.259" E	30° 54' 4.945" N
3	77° 56' 4.307" E	30° 53' 56.202" N	18	77° 56' 9.476" E	30° 54' 6.150" N
4	77° 56' 5.791" E	30° 53' 54.221" N	19	77° 56' 8.399" E	30° 54' 5.589" N
5	77° 56' 6.365" E	30° 53' 53.602" N	20	77° 56' 7.609" E	30° 54' 5.310" N
6	77° 56' 7.346" E	30° 53' 52.850" N	21	77° 56' 6.900" E	30° 54' 6.227" N
7	77° 56' 8.402" E	30° 53' 52.711" N	22	77° 56' 5.454" E	30° 54' 5.754" N
8	77° 56' 10.494" E	30° 53' 51.796" N	23	77° 56' 4.815" E	30° 54' 5.166" N
9	77° 56' 10.327" E	30° 53' 52.722" N	24	77° 56' 4.386" E	30° 54' 4.685" N
10	77° 56' 9.627" E	30° 53' 54.417" N	25	77° 56' 3.486" E	30° 54' 3.069" N
11	77° 56' 9.354" E	30° 53' 55.921" N	26	77° 56' 2.661" E	30° 54' 2.377" N
12	77° 56' 9.329" E	30° 53' 57.495" N	27	77° 56' 3.595" E	30° 54' 0.403" N
13	77° 56' 10.029" E	30° 53' 59.881" N	28	77° 56' 4.077" E	30° 53' 59.483" N
14	77° 56' 11.183" E	30° 53' 1.943" N	29	77° 56' 4.601" E	30° 53' 58.627" N
15	77° 56' 11.790" E	30° 53' 2.439" N	30	77° 56' 4.638" E	30° 53' 57.971" N

Signed by Vijay Kumar
Yadav

विजय कुमार यादव)
सचिव।

Date: 24-12-2021 15:58:14
संख्या:- 1879/X-3-21/14(02)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
7. उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
8. उप जिलाधिकारी, कालसी/चकराता/त्यूनी।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 1 के अनुसार वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 2 के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि प्राप्त की जायेगी।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 3 (क) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.170 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम डिरनाड, तहसील-त्यूनी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाएगा।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं0 3 (ख) के अनुसार गैर वानिकी वनभूमि को राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाएगा।

(इं0 राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 3 (ग) के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी यह प्रमाण पत्र दिया जाना है।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com
 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं0 4 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा करा दी गई है (ऑनलाईन पेंमेंट शीट संलग्न)। यदि भविष्य में इस योजना में निर्धारित कार्यों हेतु लागत में वृद्धि होती है उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(इं0 राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 5 (क) के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा करा दिया गया है (ऑनलाईन पैमेंट शीट संलग्न)।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 5 (ख) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार को देने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं0 6 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या 140 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।


(इं0 राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com

 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 7 के अनुसार **State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.**


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 8 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरणसा कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किया गया है (ऑनलाईन पेंमेंट शीट संलग्न)।

(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com
 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 9 के अनुसार एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com

 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 10 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com

 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं0 11 के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।


(इं0 राजेन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी



eepmgsykalsi@rediffmail.com



01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 12 के अनुसार सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी



eepmgsykalsi@rediffmail.com



01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 13 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी



eepmgsykalsi@rediffmail.com



01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 13 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgysykalsi@rediffmail.com

 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 15 के अनुसार वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 16 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 17 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।


(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 18 के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

(इ० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 19 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन की अवधि को मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 20 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 21 के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 22 के अनुसार शर्त सं० 1 से 26 सभी शर्तों का उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com
☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 23 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित लागू शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

 eepmgsykalsi@rediffmail.com
 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 24 के अनुसार परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।


(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है० भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ०सी०/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं० 25 के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।

(इं० राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

✉ eepmgsykalsi@rediffmail.com

☎ 01360-275015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/4380/2018 कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है उपरोक्त अनुमोदन की शर्त सं0 26 के अनुसार अनुपालना की रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) हार्ड कॉपी अपलोड कर दी गई है।

(इं0 राजिन्द्र कुमार टम्टा)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

I/753/2021

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या- 211 / 12ए-50 (2020-23) / डी0एम0जी0एस0वाई0-2021

दिनांक 8 मार्च 2021

विषय- जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ग्राम कथियान से डिरनाड मार्ग के निर्माण में आने वाली 3.0835 है0 वन भूमि के एवज में 6.1700 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, चकराता।

जनपद-देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-352/वाचक/2021 दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा कार्यालय में भूमि प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ग्राम कथियान से डिरनाड मार्ग के निर्माण में आने वाली 3.0835 है0 वन भूमि के एवज में मौजा डिरनाड तहसील त्यूनी के बंजर भूमि खाता संख्या 00092 के खसरा नम्बर 462 रक्बा 6.1700 है0 भूमि, श्रेणी-5(3)(ड0)-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपजिलाधिकारी चकराता के द्वारा खाता खतौनी, नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अनापत्ति सहित भूमि उपब्धता का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः आपके पत्रांक-352/वाचक/2021 दिनांक 03 मार्च 2021 एवं 365/वाचक-2021 दिनांक 27 मार्च 2021 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50 (39)-2015 /2014-वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम-डिरनाड तहसील-त्यूनी परगना-जौनसार बावर, जनपद-देहरादून के खाता संख्या-00092 के खसरा संख्या-462 मध्ये 6.1700 है0 भूमि, श्रेणी-5(3)(ड0)-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by ASHISH KUMAR SRIVASTAV
Date: Wed Apr 07 20:11:57 IST 2021

(डी0एम0जी0एस0वाई0-2021)

जिलाधिकारी

देहरादून

प्रतिलिपि :- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी, देहरादून को उनके पत्र संख्या- 782/22सी दिनांक 17.08.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
देहरादून

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

Pages 1 of 8

ग्राम क्रमांक : 044748

ग्राम का नाम / परगना : डिरनाड़(जौनसारबाबर)

तहसील : त्यूनी

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1

5-3-इ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि ।

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
00092	बंजर//		101 103 106 107 108 109 114 117 118 127 129 136 143 144 158 16 17 171 175 183 187 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 21 213 215 216	0.1900 0.0200 0.8090 3.6800 0.0970 0.0040 0.1250 0.0770 0.0450 0.3040 0.2750 0.1010 0.4740 3.5420 0.0200 0.0690 0.1250 0.1700 0.4050 0.0040 0.0320 0.0240 0.0610 0.0360 0.0240 0.0240 0.1090 0.0530 0.0650 0.0810 0.1740 0.0320 0.0650 0.0570 0.2430 0.0890	0.00		



खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			217	0.7600			
			219	0.0400			
			221	0.1300			
			231	0.4050			
			232	0.1420			
			239	0.0200			
			241	0.0160			
			244	0.0600			
			245	0.4450			
			246	0.5140			
			247	1.7800			
			248	0.1900			
			252	0.0490			
			257	0.0650			
			260	0.8820			
			263	0.2910			
			264	0.1940			
			265	0.2910			
			27	0.2910			
			275	0.1940			
			276	0.1420			
			278	0.1500			
			28	0.0610			
			280	0.0320			
			287	0.3400			
			292	0.2310			
			299	0.0530			
			308	0.0120			
			31	0.8990			
			318	0.2950			
			319	2.0000			
			323	0.2750			
			329	0.0200			
			334	0.0530			
			335	0.2590			
			336	4.9950			



खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			343	0.0530			
			346	0.3640			
			35	1.5000			
			351	0.0280			
			354	0.1010			
			356	0.0450			
			358	0.1740			
			360	0.0160			
			362	0.4450			
			364	0.2430			
			365	0.2230			
			366	0.0200			
			368	0.2230			
			373	0.1170			
			376	0.0320			
			385	0.0490			
			390	0.1980			
			392	0.0530			
			395	0.0930			
			401	0.0570			
			406	0.0200			
			407	0.0930			
			410	0.1050			
			422	0.1250			
			423	0.2470			
			429	0.0240			
			43	0.1780			
			447	0.0530			
			448	0.1780			
			449	0.3520			
			45	0.1130			
			451	0.0400			
			452	0.1340			
			453	5.6000			
			454	0.6320			
			455	2.9000			



खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			458	0.0730			
			459	0.3040			
			462	10.1500			
			464	0.4250			
			469	0.0490			
			471	0.1940			
			473	0.2020			
			476	0.0240			
			48	0.0280			
			480	0.0730			
			487	0.0160			
			491	0.1740			
			50	0.7500			
			506	0.0400			
			509	0.1010			
			51	0.1420			
			511	0.0240			
			512	0.1380			
			513	0.5470			
			515	0.0320			
			518	0.0040			
			519	0.1380			
			525	0.1050			
			529	0.1010			
			53	0.0160			
			531	0.1300			
			537	0.0240			
			540	1.2950			
			542	0.0280			
			547	0.0360			
			549	0.1170			
			55	0.0280			
			552	0.0160			
			556	0.0120			
			563	0.2180			
			566	1.0110			



खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			567	0.5570			
			57	0.2470			
			570	0.1010			
			598	0.1380			
			6	0.0080			
			61	0.1300			
			622	0.1050			
			628	0.5350			
			63	0.2100			
			630	0.1050			
			634	0.0200			
			638	3.7960			
			639	0.0280			
			64	0.0240			
			640	0.0040			
			641	0.2100			
			642	0.0200			
			643	0.3530			
			647	0.1700			
			653	0.1340			
			654	0.1050			
			656	0.0610			
			657	0.1460			
			660	0.0360			
			663	0.5350			
			664	0.1010			
			665	0.1860			
			666	0.6360			
			667	0.1700			
			669	0.0890			
			670	0.0120			
			671	0.2470			
			672	0.5000			
			673	0.0650			
			674	0.1050			
			675	0.1300			





खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			676	0.0530			
			677	0.0080			
			678	0.0970			
			679	0.2100			
			680	0.0080			
			681	0.2270			
			682	0.1210			
			683	0.1460			
			684	0.3720			
			685	0.0610			
			686	0.1900			
			688	0.1740			
			699	0.1210			
			701	0.0490			
			702	0.0810			
			703	0.0490			
			704	1.6500			
			707	0.0120			
			713	0.0400			
			717	1.5000			
			719	0.5060			
			722	0.6820			
			723	1.2140			
			724	4.1000			
			73	0.8090			
			731	0.0080			
			732	0.0450			
			738	0.0450			
			74	0.0200			
			740	0.0360			
			75	0.0120			
			751	0.1780			
			755	0.0360			
			756	0.1170			
			76	0.0530			
			77	0.0120			





खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			774	0.0320			
			78	0.0240			
			782	5.7090			
			79	0.0080			
			797	0.3750			
			798	4.6000			
			80	0.0120			
			800	0.4250			
			801	0.4590			
			803	0.2550			
			807	0.3080			
			809	0.2020			
			81	0.0040			
			814	3.5000			
			815	0.4850			
			816	0.6900			
			817	2.3510			
			82	0.0160			
			823	3.0000			
			824	0.3040			
			825	0.1500			
			827	0.0650			
			829	1.0500			
			83	0.2350			
			830	0.7800			
			831	0.3600			
			832	0.3600			
			833	0.5100			
			834	1.1450			
			835	0.2790			
			836	0.2710			
			837	0.4780			
			838	0.0850			
			839	0.5060			
			843	0.4710			
			844	0.5350			



खाता खतौनी क्रम संख्या --- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
			845 846 847 85 87 89 91 92 94 98 99	0.5050 0.0240 0.2000 0.1300 0.2140 0.0240 0.0530 1.5750 0.1860 3.3500 0.5180			
			263	119.7530			

कुल गाटे: दो छ: तीन कुल क्षेत्रफल: एक एक नौ दशमलव सात पाँच तीन कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : DEVRAJ SINGH

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : त्यूनी

जनपद : देहरादून

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 23-06-2021 10:32:51 AM





"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

[Home](#) [My Account](#) [My Proposals Environment Clearance](#) [Only CRZ Clearance](#) [My Proposals Forest Clearance](#) [My Proposals Wildlife Clearance](#) [Help](#)

3:55:58 PM



Online payment history made by User Agency under CAMPA

[Help](#)

संलग्नक:-2



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)			Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
2	FP/UK/ROAD/38817/2019 Construction of Jagthan Motor Road from 8th km. of Chakrata-Tyuni (MDR-37)	ROAD388172019523	6138817523	13 Sep 2019	CA: 18284574/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 19093077/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 37377651/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :08 Oct 2019 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Oct 2019 Transaction Date :24 Oct 2019	Demand Letter Generated Challan	